

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-9

संख्या 508/XXVII(9)2011/ स्टाम्प-09/2009-RTI

देहरादून: दिनांक 23 अगस्त, 2011

अधिसूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 22 वर्ष, 2005) की धारा 5 व धारा 19 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल द्वारा स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग की लोक प्राधिकारी ईकाइयों में लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी के नामांकन से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या 750/XXVII(9)/2010/स्टाम्प-09/2009-RTI दिनांक 28 सितम्बर, 2010 में आंशिक संशोधन करते हुये अपील्य अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में अधिसूचित/नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

मुख्यालय स्तर

लोक प्राधिकारी ईकाई	लोक सूचना अधिकारी	दूरभाष नं०	सहायक लोक सूचना अधिकारी	दूरभाष नं०	अपीलेंट अधिकारी	दूरभाष नं०
कार्यालय, महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून	1. उप-निबन्धक मुख्यालय	-	मुख्य निबन्धन लिपिक मुख्यालय	-	सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन (मुख्यालय) देहरादून	-

2- प्रतिबन्ध यह है कि लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलेंट अधिकारी के रूप में नामित किसी अधिकारी के अवकाश पर रहने या पद रिक्त होने की स्थिति में उनके समकक्ष अधिकारी/पद का प्रभार निर्वहन करने वाले अधिकारी को अधिनियम के प्रयोजन के लिये लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलेंट अधिकारी माना जायेगा।

3- उपर्युक्त नामित किये गये लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलेंट अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में उल्लिखित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन के लिये पूर्णरूप से जिम्मेदार होंगे एवं इस कार्य हेतु उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन, भत्ते आदि देय नहीं होंगे।

शासन की संदर्भगत अधिसूचना संख्या 750/XXVII(9)/2010/
स्टाम्प-09/2009-RTI दिनांक 28 सितम्बर, 2010 इस सीमा तक संशोधित समझी
जायेगी।

(डा० हेमलता ढोंडियाल)
प्रभारी सचिव।

संख्या-568 (1)/XXVII(9)/2011/स्टाम्प-09/2009-RTI तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. समस्त निजी सचिव, मा० मंत्रिगण, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल नैनीताल/पौड़ी गढ़वाल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, उत्तराखण्ड।
9. उपरोक्त समस्त नामित प्राधिकारी। *मुख्य निष्पत्ति विधिक मुरमाव*
10. निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी विकास ऐजेंसी, वसन्त विहार देहरादून।
11. एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर देहरादून।
12. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लिथो प्रेस, रुड़की को इस अनुरोध सहित
कि वे अधिसूचना की 100 प्रतियां प्रकाशित कराते हुये वित्त अनुभाग-9 में
उपलब्ध करा दें।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
प्रदीप सिंह रावत
(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग-9
संख्या- /XXVII(9)/स्टाम्प/2007
देहरादून: दिनांक 05 जनवरी, 2007
अधिसूचना

“सूचना का अधिकार अधिनियम”, 2005 (2005 का अधिनियम संख्या 22) की धारा 5 व धारा 19 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल द्वारा स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग की लोक प्राधिकारी ईकाइयों में लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी के नामांकन से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या-387/XXVII(5)/ स्टाम्प/2005, दिनांक 13-10-2005 में आंशिक संशोधन करते हुये प्रत्येक उप-निबन्धक कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी एवं तहसील कार्यालयों में कार्यरत वरिष्ठ निबन्धन लिपिक को सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में अधिसूचित/नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

जिला स्तर

लोक प्राधिकारी इकाई	लोक सूचना अधिकारी	दूरभाष सं०	सहायक लोक सूचना अधिकारी	दूरभाष सं०	अपीलेट अधिकारी)	दूरभाष सं०
1	2	3	4	5	6	7
1-कार्यालय जिला निबन्धक, देहरादून।	1-उप- निबन्धक, प्रथम, देहरादून	2729319 (कार्या०-सहा 0 महानिरी०) 3093707 (आवास)	मुख्य निबन्धन लिपिक/ वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, कार्यालय, उप-निबन्धक- प्रथम, देहरादून	2729319 (कार्या०-सहा० महानिरी०)	जिला निबन्धक, देहरादून।	2628893 (कार्या०) 2669878 (आवास)
	2-उप- निबन्धक, त्राधिकेश	—	वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, कार्यालय, उप-निबन्धक, त्राधिकेश।	—	जिला निबन्धक, देहरादून।	—
	3-उप- निबन्धक, विकासनगर।	—	वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, कार्यालय, उप-निबन्धक, विकासनगर।	—	जिला निबन्धक, देहरादून।	—
2-कार्यालय जिला निबन्धक, हरिद्वार।	4-उप- निबन्धक, हरिद्वार।	250890 (कार्या०-सहा 0 महानिरी०)	मुख्य निबन्धन लिपिक/ वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, कार्यालय, उप-निबन्धक- हरिद्वार।	250890 (कार्या०-सहा० महानिरी०)	जिला निबन्धक, हरिद्वार।	239554 (कार्यालय ए०डी०एम०)
	5-उप- निबन्धक, प्रथम, रुड़की	—	वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, कार्यालय, उप-निबन्धक, रुड़की।	—	जिला निबन्धक, हरिद्वार।	—
	6-उप- निबन्धक, लक्सर	—	वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, कार्यालय, उप-निबन्धक, लक्सर।	—	जिला निबन्धक, हरिद्वार।	—
3-कार्यालय जिला निबन्धक, ऊधमसिंहनगर	7-उप- निबन्धक, किच्छा	9412994671	मुख्य निबन्धन लिपिक/ वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, कार्यालय, उप-निबन्धक- किच्छा।	242087 (कार्यालय ए०डी०एम०)	जिला निबन्धक, ऊधमसिंहनगर	242087 (कार्या०)
	8-उप- निबन्धक, काशीपुर।	—	वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, कार्यालय, उप-निबन्धक, काशीपुर।	—	जिला निबन्धक, ऊधमसिंहनगर	—
	9-उप- निबन्धक,	—	वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, कार्यालय, उप-निबन्धक,	—	जिला निबन्धक, ऊधमसिंहनगर	—

	बाजपुर।		बाजपुर।			
	10-उप- निबन्धक, सितारगंज।	—	वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, कार्यालय,उप-निबन्धक, सितारगंज।	—	जिला निबन्धक, ऊधमसिंहनगर	—
4-कार्यालय जिला निबन्धक, नैनीताल।	11-उप- निबन्धक, नैनीताल।	9411137273	मुख्य निबन्धन लिपिक/ वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, कार्यालय,उप-निबन्धक- नैनीताल।	235766 (कार्यालय ए0डी0एम0)	जिला निबन्धक, नैनीताल।	235766 (कार्यालय)
	12-उप- निबन्धक, हल्द्वानी।	—	वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, कार्यालय,उप-निबन्धक, हल्द्वानी।	—	जिला निबन्धक, नैनीताल।	—
	13-उप- निबन्धक, धारी।	—	वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, कार्यालय,उप-निबन्धक, धारी।	—	जिला निबन्धक, नैनीताल।	—
	14-उप- निबन्धक, रामनगर।	—	वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, कार्यालय,उप-निबन्धक, रामनगर।	—	जिला निबन्धक, नैनीताल।	—
5-कार्यालय जिला निबन्धक, पिथौरागढ़।	15-उप- निबन्धक, पिथौरागढ़।	95596322000 3 (तहसील कार्यालय)	मुख्य निबन्धन लिपिक/ वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, कार्यालय,उप-निबन्धक- पिथौरागढ़।	225950 (कार्यालय)	जिला निबन्धक, पिथौरागढ़।	225950 (कार्यालय)
	16-उप- निबन्धक, गंगोलीहाट।	—	वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, कार्यालय,उप-निबन्धक, गंगोलीहाट।	—	जिला निबन्धक, पिथौरागढ़।	—
	17-उप- निबन्धक, डीडीहाट।	—	वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, कार्यालय,उप-निबन्धक, डीडीहाट।	—	जिला निबन्धक, पिथौरागढ़।	—
6-कार्यालय जिला निबन्धक, चम्पावत।	18-उप- निबन्धक, चम्पावत।	9559622023 (कार्यालय)	मुख्य निबन्धन लिपिक/ वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, कार्यालय,उप-निबन्धक- चम्पावत।	234524 (कार्यालय)	जिला निबन्धक, चम्पावत।	234524 (कार्यालय डी0आर0 लोहाघाट)
7-कार्यालय जिला निबन्धक, बागेश्वर।	19-उप- निबन्धक, बागेश्वर।	9559632200 (कार्यालय)	मुख्य निबन्धन लिपिक/ वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, कार्यालय,उप-निबन्धक- बागेश्वर।	220383 (कार्यालय)	जिला निबन्धक, बागेश्वर।	220383 (कार्यालय)
	20-उप- निबन्धक, कपकोट।	—	वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, कार्यालय,उप-निबन्धक, कपकोट।	—	जिला निबन्धक, बागेश्वर।	—
8-कार्यालय जिला निबन्धक, अल्मोड़ा।	21-उप- निबन्धक, अल्मोड़ा।	230284 (कलेक्ट्रेट परिसर)	मुख्य निबन्धन लिपिक/ वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, कार्यालय,उप-निबन्धक- अल्मोड़ा।	230284 (कार्यालय)	जिला निबन्धक, अल्मोड़ा।	230284 (कार्यालय)
	22-उप- निबन्धक, रानीखेत।	—	वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, कार्यालय,उप-निबन्धक, रानीखेत।	—	जिला निबन्धक, अल्मोड़ा।	—
	23-उप- निबन्धक, भिव्यासैण।	—	वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, कार्यालय,उप-निबन्धक, भिव्यासैण।	—	जिला निबन्धक, अल्मोड़ा।	—
9-कार्यालय जिला निबन्धक, उत्तरकाशी।	24-उप- निबन्धक, उत्तरकाशी।	222121 (कार्यालय)	मुख्य निबन्धन लिपिक/ वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, कार्यालय,उप-निबन्धक- उत्तरकाशी।	222109 (कार्यालय)	कार्यालय जिला निबन्धक, उत्तरकाशी।	222109 (कार्यालय)

	25- उप- निबन्धक, पुरोला।		वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, कार्यालय, उप-निबन्धक, पुरोला।	-	जिला निबन्धक, उत्तरकाशी।	
	26- उप- निबन्धक, बड़कोट।	-	वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, कार्यालय, उप-निबन्धक, बड़कोट।	-	जिला निबन्धक, उत्तरकाशी।	-
10- कार्यालय जिला निबन्धक, रुद्रप्रयाग।	27- उप- निबन्धक, रुद्रप्रयाग।	233834 (कार्या०)	मुख्य निबन्धन लिपिक/ वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, कार्यालय, उप-निबन्धक- रुद्रप्रयाग।	233834 (कार्या०)	जिला निबन्धक, रुद्रप्रयाग।	233185 (कार्या०)
	28- उप- निबन्धक, ऊखीमठ।	-	वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, कार्यालय, उप-निबन्धक, ऊखीमठ।	-	जिला निबन्धक, रुद्रप्रयाग।	-
11- कार्यालय जिला निबन्धक, पौड़ी।	29- उप- निबन्धक, पौड़ी।	222422 (कार्या०)	मुख्य निबन्धन लिपिक/ वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, कार्यालय, उप-निबन्धक- पौड़ी।	222348 (कार्या०)	जिला निबन्धक, पौड़ी।	222348 (कार्या०)
	30- उप- निबन्धक, श्रीनगर।	-	वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, कार्यालय, उप-निबन्धक, श्रीनगर।	-	जिला निबन्धक, पौड़ी।	-
	31- उप- निबन्धक, कोटद्वार।	-	वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, कार्यालय, उप-निबन्धक, कोटद्वार।	-	जिला निबन्धक, पौड़ी।	-
	32- उप- निबन्धक, लैन्सडाउन।	-	वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, कार्यालय, उप-निबन्धक, लैन्सडाउन।	-	जिला निबन्धक, पौड़ी।	-
12- कार्यालय जिला निबन्धक, चमोली।	33- उप- निबन्धक, कर्णप्रयाग।	-	मुख्य निबन्धन लिपिक/ वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, कार्यालय, उप-निबन्धक- कर्णप्रयाग।	-	जिला निबन्धक, चमोली।	-
13- कार्यालय जिला निबन्धक, टिहरी।	34- उप- निबन्धक, टिहरी।	232495 (कार्या०)	मुख्य निबन्धन लिपिक/ वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, कार्यालय, उप-निबन्धक- टिहरी।	232495 (कार्या०)	जिला निबन्धक, टिहरी।	233992 (कार्या०)
	35- उप- निबन्धक, देवप्रयाग।	-	वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, कार्यालय, उप-निबन्धक, देवप्रयाग।	-	जिला निबन्धक, टिहरी।	-
	36- उप- निबन्धक, जाखनीधार।	-	वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, कार्यालय, उप-निबन्धक, जाखनीधार।	-	जिला निबन्धक, टिहरी।	-
	37- उप- निबन्धक, धनसाली।	-	वरिष्ठतम निबन्धन लिपिक, कार्यालय, उप-निबन्धक, धनसाली।	-	जिला निबन्धक, टिहरी।	-

2- प्रतिबन्ध यह है कि लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलेंट अधिकारी के रूप में नामित किसी अधिकारी के अवकाश पर रहने या पद रिक्त होने की स्थिति में उनके समकक्ष अधिकारी/पद का प्रभार निर्वहन करने वाले अधिकारी को अधिनियम के प्रयोजन के लिये लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलेंट अधिकारी माना जायेगा।

3- उपर्युक्त नामित किये गये लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलेंट अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में उल्लिखित

कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन के लिये पूर्णरूप से जिम्मेदार होंगे एवं इस कार्य हेतु उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन, भत्ते आदि देय नहीं होंगे।

शासन की संदर्भगत अधिसूचना संख्या-387/XXVII(5)/ स्टाम्प/ 2005, दिनांक 13-10-2005 इस सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्या-06 (1)/ XXVII(9)/ स्टाम्प/ 2007, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
- 2-समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण, उत्तरांचल शासन।
- 3-सचिव, सूचना, उत्तरांचल शासन।
- 2-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 3-स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 4-मण्डलायुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल, मण्डल, नैनीताल/पौड़ी गढ़वाल।
- 5-समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
- 6-सचिव, उत्तरांचल सूचना आयोग, उत्तरांचल।
- 7-उपरोक्त समस्त नामित प्राधिकारी।
- 8-निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी विकास ऐजेंसी, वसन्त विहार, देहरादून।
- 9-एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 10-उप-निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लिथो प्रेस, रुड़की को इस अनुरोध सहित कि वे अधिसूचना की 500 प्रतियाँ प्रकाशित कराते हुये वित्त अनुभाग-9 में उपलब्ध करा दें।
- 11-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(एल0एम0पन्त) 11/11/2007
अपर सचिव।